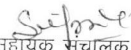


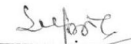
5. एफ0ए0आर0 11.1.90 तथा भवन की अधिकतम ऊंचाई 12.00 मीटर।
6. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
7. विद्युत लाइन के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
8. किसी भी प्रकार की भूमि वाद-विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
9. इस अनुज्ञा को भू-स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जायें।
10. यह अभिमत अहस्तांतरणीय होगी तथा यह अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होगा।
11. किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट परिसर के आस-पास भूमि पर फेंकन/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
12. प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्ड पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें एवं भवन अनुज्ञा/अनुमति संबंधित नगरपालिका विदिशा से प्राप्त की जाना होगा।
13. उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत निवोक कर दी जावेगी।

पृ.क्र./...../ विअ/नग्रानि/2011


 सहायक संचालक
 नगर तथा ग्राम निवेश
 जिला कार्यालय विदिशा
 विदिशा दिनांक 14/3/14

प्रतिलिपि :-

1. उपखण्ड अधिकारी विदिशा की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद विदिशा की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


 सहायक संचालक
 नगर तथा ग्राम निवेश
 जिला कार्यालय विदिशा

